न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद संख्या — 33/2020

1. श्रीमती गीता उर्फ मीठी पत्नि शैतान जाति जाट
2. सुशीला उर्फ गन्नू पुत्री शैतान जाति जाट
3. सम्पत्ति पत्नि लूणाराम जाति जाट
4. रविन्द्र पुत्र लूणाराम (ना0बा0) जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सम्पत्ति पत्नि लूणाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जेठाना तह0 पीसागंन जिला अजमेर

...वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र जाट (रेलानिया) पुत्र कानाराम रेलानिया जाति जाट निवासी मोडी , हाल निवासी तेजाजी के थान के पास , जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 ,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वरप्रसादसिंह – वादीगण

–: निर्णय :– दिनांक 23.03.2021

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 183,188 ,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर में अवस्थित खाता संख्या 1163 नया 1067 पुराना के खसरा सख्या 4596 कुल रकबा 6.34 है. व खाता संख्या 1161 नया 1067 पुराना के खसरा सख्या 4610/6356 कुल रकबा 0.60 है. वादीगण की खरीदशुदा खातेदारी की रही है। प्रतिवादी की आराजी जो कि वादीगण की आराजी के समीप स्थित होकर प्रतिवादी , वादीगण का पडौसी काश्तकार है को वादीगण ने अपनी आराजी भूमि बांटे पर बोने के लिये दी थी जिसका कि समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वादीगण अपनी आराजी पर ट्रेक्टर लेकर बुवाई करने गया तो प्रतिवादी ने उनको वहां से गाली गलोच करते हुए जाने से मारने की धमकी देकर भगा दिया एंव आये दिन लडाई झगडा करने पर आमादा है। वादीगण विधवा महिला व बुजुर्ग काश्तकार है जिसका वादी संख्या 4 नाबालिग लडका है जो अभी पढ रहा है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाते हुए उनकी खरीदशुदा आराजी पर से प्रतिवादी व उसके परिवारजन को बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाये जाने की आदेशात्मक आज्ञप्ति पारित करने की कृपा करावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से निरोधित फरमावें कि वह वादीगण की खरीदशुदा खातेदारी एंव आधिपत्य की कृषि भूमि के कब्जे काश्त आवागमन व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से व्यवधान दखल व अतिक्रमण नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 वास्ते जवाब पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बंद किया गया। वादीगण संख्या 01 व 03 ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गयी।

मैंने वादी अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किय तो पाया कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन ज़िला अजमेर में अवस्थित खाता संख्या 1163 नया 1067 पुराना के खसरा सख्या 4596 कुल रकबा 6.34 है. व खाता संख्या 1161 नया 1067 पुराना के खसरा सख्या 4610/6356 कुल रकबा 0.60 है. वादीगण की खरीदशुदा आराजी से प्रतिवादी सख्या 01 को बेदखल किया जाता है तथा तहसीलदार पीसागंन को निर्देशित किया जाता है कि जरिये पुलिस इमदाद वादी को अपनी खातेदारी का कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल करके दिलाया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण की खरीदशुदा खातेदारी एंव आधिपत्य की कृषि भूमि के कब्जे काश्त आवागमन व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से व्यवधान दखल व अतिकमण नहीं करें।**

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)